भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 862

23 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत लाभार्थी

†862. **श्री बलवंत बसवंत वानखडेः**

श्रीमती सुप्रिया सुलेः

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ राज्यों में लाभार्थियों के लिए आवासों की स्वीकृति और गृह प्रवेश हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के अंतर्गत बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों का आयोजन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र में उन लाभार्थियों की संख्या कितनी है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के अंतर्गत आवास स्वीकृत किए गए हैं और पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य को कितनी केंद्रीय सहायता जारी की गई है;

(ग) महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के अंतर्गत पूर्ण हुए आवासों और गृह प्रवेश करने वाले लाभार्थियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का महाराष्ट्र में भी इसी तरह के बड़े पैमाने पर लाभार्थी संपर्क और आवास वितरण कार्यक्रमों को आयोजित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्धारित समय-सीमा के भीतर "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु महाराष्ट्र में किफायती आवास परियोजनाओं की स्वीकृतियों, निधियों को जारी करने तथा उन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): भूमि और कॉलोनीकरण राज्य के विषय हैं। अतः नागरिकों के लिए आवास संबंधी सभी योजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में किया जाता है। तथापि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश-भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25.06.2015 से

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहयोग कर रहा है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों से मिली सीख के आधार पर एमओएचयूए ने योजना में बदलाव करते हुए 01.09.2024 से शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) - 'सबके लिए आवास' मिशन प्रारंभ किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 का कार्यान्वयन चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) तथा ब्याज सहायता योजना (आईएसएस) के माध्यम से किया जा रहा है।

पीएमएवाई-यू तथा पीएमएवाई-यू 2.0 मांग-आधारित योजनाएं हैं, जिनके अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से आवास की आवश्यकता का आकलन करते हैं। पात्र नागरिकों को भी पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/शहरी स्थानीय निकाय योजना के संचालन दिशा-निर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों का सत्यापन करते हैं तथा लाभार्थियों की सूची का चयन/संवीक्षा भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाती है। योजना के संचालन दिशा-निर्देश तथा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए एकीकृत वेब पोर्टल https://pmay-urban.gov.in पर उपलब्ध हैं।

मांग सर्वेक्षण तथा लाभार्थियों के चयन के आधार पर परियोजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा उनका अनुमोदन किया जाता है। इसके उपरांत केंद्रीय सहायता जारी करने पर विचार करने के लिए इन्हें केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) को भेजा जाता है।

पीएमएवाई-यू तथा पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत केंद्रीय सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 40 प्रतिशत, 40 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत की तीन किस्तों में जारी की जाती है। केंद्रीय सहायता जारी किया जाना संचालन दिशा-निर्देशों तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुसार संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनिवार्य अनुपालनों की पूर्ति पर निर्भर करता है। स्वीकृत परियोजनाओं में अपेक्षित अनुपालनों की पूर्ति होते ही संबंधित राज्य सरकार को देय केंद्रीय सहायता जारी कर दी जाती है, ताकि वह राज्य की हिस्सेदारी के साथ इसे योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु चिन्हित लाभार्थियों को हस्तांतरित कर सके।

महाराष्ट्र राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर मंत्रालय द्वारा अब तक कुल 13.84 लाख आवास, जिनमें पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 1.98 लाख आवास शामिल हैं, स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 12.16 लाख आवास निर्माणाधीन तथा 10.74 लाख आवास पूर्ण/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। पीएमएवाई-यू तथा पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत कुल आवासों तथा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य को जारी की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है। महाराष्ट्र में पीएमएवाई-यू तथा पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन तथा पूर्ण/लाभार्थियों को सौंपे गए आवासों का जिला-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा करता है, जिसमें केंद्रीय सहायता की आगामी किस्त जारी करने तथा उसके उपयोग के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुपालनों को समय पर प्रस्तुत करना तथा स्वीकृत आवासों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करना शामिल है।

पीएमएवाई-यू 2.0 शहरी क्षेत्रों में आवास उपलब्धता को किफायती बनाने के लिए उपयुक्त विनियामक, राजकोषीय तथा संस्थागत उपायों के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किफायती आवास नीति तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करता है। योजना के संचालन दिशा-निर्देश https://pmay-urban.gov.in पर उपलब्ध हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न जनसंपर्क कार्यक्रम/अभियान आयोजित करने की सलाह देता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवास मेले, क्षेत्रीय स्वीकृति-पत्र वितरण शिविर तथा सामूहिक गृह प्रवेश समारोह आदि आयोजित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि आवासों के पूर्ण होने का सार्वजनिक रूप से उत्सव मनाया जा सके तथा स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। तथापि, ऐसे जनसंपर्क कार्यक्रमों का कोई केंद्रीय डेटाबेस नहीं रखा जाता है।

दिनांक 23.07.2026 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 862 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक -।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के अंतर्गत महाराष्ट्र में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का ब्यौरा

क्र.सं.	विवरण		पीएमएवाई-यू तथा पीएमएवाई-यू 2.0
1	स्वीकृत आवास (संख्या में)		13,84,240
2	निर्माणाधीन आवास (संख्या में)		12,16,585
3	पूर्ण/लाभार्थियों को सौंपे गए आवास (संख्या में)		10,74,552
4	स्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)		25,358.64
5	जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	शुरूआत से अब तक	20,446.20
		वर्ष 2023-24	1,542.86
		वर्ष 2024-25	313.56
		वर्ष 2025-26	305.71

दिनांक 23.07.2026 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 862 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-।।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में आवासों की जिला-वार भौतिक प्रगति

		पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 में समग्र प्रगति		
क्र.सं.	जिला	स्वीकृत आवास	निर्माणाधीन	पूर्ण
1	अहिल्यानगर	26,817	22,585	21,558
2	अकोला	16,154	13,072	11,412
3	अमरावती	39,198	23,557	20,025
4	बीड	20,571	15,136	10,946
5	भंडारा	7,010	5,771	4,793
6	बुलढाणा	10,349	7,730	6,775
7	चंद्रपुर	14,462	9,328	7,445
8	छत्रपति संभाजीनगर	46,267	43,803	28,966
9	धाराशिव	9,965	7,652	6,013
10	धुले	7,395	6,452	6,153
11	गढ़चिरौली	7,350	4,975	3,615
12	गोंदिया	9,515	6,374	4,635
13	हिंगोली	14,798	10,514	7,989
14	जलगांव	32,116	29,827	27,850
15	जालना	16,550	12,707	9,450
16	कोल्हापुर	15,396	14,228	13,605
17	लातूर	18,329	14,895	12,001
18	मुंबई उपनगर	1,41,652	1,41,652	1,41,652
19	नागपुर	77,508	59,701	47,235
20	नांदेड़	30,192	24,391	19,440
21	नंदुरबार	4,872	3,859	3,187
22	नासिक	72,156	70,814	69,712
23	पालघर	53,016	52,806	46,306
24	परभणी	25,568	19,730	12,053
25	पुणे	2,41,970	2,18,622	2,11,547
26	रायगढ़	67,099	64,576	52,942
27	रत्नागिरी	4,322	4,215	4,133
28	सांगली	12,469	11,131	10,073

29	सातारा	19,620	14,940	12,904
30	सिंधुदुर्ग	1,959	1,812	1,338
31	सोलापुर	57,787	55,443	33,130
32	ठाणे	2,26,868	1,96,734	1,83,305
33	वर्धा	10,145	8,797	7,455
34	वाशिम	5,826	4,077	3,449
35	यवतमाल	18,969	14,679	11,460
	कुल	13,84,240	12,16,585	10,74,552
